न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल भोपाल म0प्र0

रिव्यु-1041-PBR-16 प्र.क......................

सर्वोदय मिलिंद नगर विकास एवं सदस्य अधिकार समिति
द्वारा अध्यक्ष रवि भास्कर पुत्र श्री रामस्वरूप भास्कर
आयु व्यसक निवासी-46 मिलिंद नगर ओल्ड एसओएस
खजूरी कलां पिपलानी भोपाल म0प्र0 - पुर्नाविलोकनकर्ता

विरूद्ध

1. मुनिन्द्र भारद्वाज
10 अंबेडकर कालोनी पुराना सुभाष नगर, भोपाल (77)
2. जनसहयोग गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित
द्वारा अध्यक्ष हरीश शर्मा आयु व्यसक
पता- जी-1 पंडित दीनदयाल परिसर
ई-2 अरेरा कालोनी, भोपाल
3. सर्वोदय गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित भोपाल
द्वारा अध्यक्ष पंजीयक सहकारी समिति
पुराना आरटीओ के सामने, भोपाल - उत्तरवादीगण

श्रीमती नीलू सिंह अधि० द्वारा आज दि० 31/3/16 को प्रस्तुत।
31/3/16

CF 30.3.16
Noted 30/3

पुर्नाविलोकन याचिका अंतर्गत धारा 51 भू0रा0सं0

पुर्नाविलोकन विरूद्ध श्रीमान राजस्व मण्डल केंप ग्वालियर बेंच भोपाल द्वारा प्र.क्र.187/पीबीआर/07 में पारित आलोच्य आदेश दि.08.12.15 से व्यथित एवं दुखित होकर प्रकरण के तथ्यों एवं ठोस आधारो पर यह अपील प्रस्तुत है :-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1041–पीबीआर/16 **जिला भोपाल**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–04–2016	आवेदक अधिवक्ता को रिव्यु प्रकरण की ग्राह्यता पर सुना गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 987–पीबीआर/07 में पारित आदेश दिनांक 08–12–2015 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	